बिहार विधान-सभा वादवृत

शुक्रवार, तिथि १५ सितम्बर, १९७२ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार तिथि १५ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

(इस अवसर पर सदन में हल्ला हो रहा था)

और श्री आजम धान के पौधे को दोनों हाथ में लेकर दिखा रहे थे कि कीड़ा लग गया है ।

अध्यक्ष—मैंने कुछ दिन पूर्व यह कहा था कि १२ बजे के बाद हवा कुछ ऐसी फैल जाती है कि वातावरण ही सदन का कुछ और हो जाता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपलोग एक-एक करके कुछ कहें तो उन बातों को अध्यक्ष भी सुन सकें और मंत्रिमंडल के सदस्य भी सुन सकें और सभा की कार्रवाई भी सुचारुरूप से आगे बढ़ सके ।

स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं ।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, बाँकीपुर जेल के अहाते में जो शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुई है, उस पर मेरा एडजौर्नमेंट मोशन था, उसका क्या हुआ ।

(इस अवसर पर श्री चन्द्रशेखर सिंह साम्यवादी और ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो लाठी प्रहार हुआ, उस पर मेरे एडजौर्नमेंट मोशन का क्या निर्णय हुआ ?

सदस्य कहते हैं कि पदाधिकारी ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है तो मैं इसकी जाँच निश्चित रूप से करूंगा।

युवराज—पाँच अगस्त, ७२ को बी० डी० सी० का रिजोल्युशन हुआ, लेकिन वह कागज उच्च पदाधिकारी के पास नहीं भेजा गया, क्या यह मंत्री महोदय को पता है ?

श्री तानेश्वर आजाद—यह कैसे पता होगा ?

उपाध्यक्ष—यह तो कहना ठीक नहीं होगा। .माननीय सदस्य कहते हैं कि बी० डी० सी० से रिजोल्युशन पास हुआ, लेकिन उसे पदाधिकारी ने उच्च पदाधिकारी के पास नहीं भेजा यह एक गम्भीर बात है।

श्री तानेश्वर आजाद—जरूर गम्भीर बात है और ऐसी बात है तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे।

विधान कार्य : गैर-सरकारी विधेयक :

(i) बिहार कोशी विस्थापित पुनर्वास विधेयक १९७२

(१९७२ की गैर-सरकारी विधेयक संख्या–१)

श्री विनायक प्रसाद यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

बिहार कोशी विस्थापित पुर्नवांस विधेयक, १९७२ को पुरा स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार कोशी विस्थापित पुनर्वास विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विनायक प्रसाद यादव—मैं बिहार कोशी विस्थापित पुर्नवास विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

(ii) बिहार काश्तकारी विधि (संशोधन) विधेयक १९७२

(१९७२ की गैर-सरकारी विधेयक संख्या-२)

श्री अम्बिका प्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार काश्तकारी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।